न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव
स्वत्व वाद सं0 – 126/2022

पुरूषोत्तम कुमार ....वादी।

बनाम्

बिहार सरकार वगैरह्......................प्रतिवादीगण।

आदेश

13-02-2025 उभय पक्षों की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता आवेदन दिनांक 12.12.2024 को प्रचालित करते हुए यह कथन करते हैं कि इस वाद में प्रतिवादी बिहार सरकार आवश्यक पक्षकार हैं। जिसे बयान तहरीरी नहीं दाखिल करने के कारण दिनांक 16.02.023 को वंचित कर दिया गया है जिससे बिहार सरकार को अपूर्णीय क्षति होगा। विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि आदेश दिनांक 16.02.2023 को वापस लेते हुए बिहार सरकार का बयान तहरीरी मंजूर कर उसे इस वाद में संघर्ष करने का आदेश दिया जाय। वादी के विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन पर आपत्ति दर्ज करते है तथा अनुरोध करते हैं कि प्रतिवादी बिहार सरकार का आवेदन खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट होता है प्रतिवादी सं0 01 बिहार सरकार को दिनांक 16.02.2023 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया है। चूकिं प्रतिवादी बिहार सरकार इस वाद में आवश्यक पक्षकार है तथा उनका बयान तहरीरी इस वाद के न्यायनिर्णयन में सहायक होगा। प्रतिवादी बिहार सरकार की ओर से इस वाद में दिनांक 12.12.2024 को बयान तहरीरी दाखिल है। अतः न्यायहित में विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता का आवेदन दिनांक 12.12.2024 को स्वीकृत किया जाता है तदनुसार आदेश दिनांक 16.02.2023 को वापस लिया जाता है।

दिनांक 17.04.2025 वास्ते 89 सी0पी0सी0 सुनवाई हेतू उभय पक्ष सदेह उपस्थित रहें।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)